

**SECTION-E**

**INSTRUCTIONS REGARDING**

**INCOME CERTIFICATE**

**SECTION 'E'**  
**INCOME CERTIFICATE**

**Index**

<b>Sr.No.</b>	<b>Subject</b>	<b>Letter number and date</b>	<b>Page No.</b>
1.	एकल नारियो/तलाकशुदा नारियो को आय प्रमाण जासी करने बारे।	संख्या-रैवडी0(एफ)11-5/2014 दिनांक 03-05-2014	1
2.	Notification regarding issuance of Low Income Certificate.	No.Rev.D(F)11-2/2014 dated 7th July,2014	2
3.	Issuance of "Low Income Certificate"	No.Rev.D(F)12-17/2007-dated 9th October,2007.	3

रैव0डी0(एफ0)11-5/2014-  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
राजस्व-डी विभाग 1

प्रेषक

प्रधान सचिव(राजस्व)  
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित

1. समस्त मण्डलायुक्त  
हिमाचल प्रदेश 1
- 2 निदेशक भू-अभिलेख,  
हिमाचल प्रदेश 1

3.समस्त उपायुक्त,  
हिमाचल प्रदेश 1

दिनांक शिमला-171002,

03.05.2014

विषय:-

एकल नारियों/तलाकशुदा नारियों को आय प्रमाण पत्र जारी करने बारे 1

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रस्ताव पर दिनांक 19-02-2014 को हुई मन्त्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि एकल नारी चाहे वह तलाकशुदा हो या तलाक की लम्बित कार्यवाही के दौरान किसी सम्बन्धी के साथ रहती हो, की आमदनी बारे जो आय प्रमाण पत्र जारी किया जाए उसमें केवल एकल महिला की आय ही शामिल की जाए न कि परिवार की, ताकि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दी जा रही सुविधाओं के लाभ से एकल नारिया बंचित न हो 1

अतः उक्त निर्णय अनुसार मुझे यह निर्देश जारी करने का आदेश हुआ है कि भविष्य में एकल नारी चाहे वह तलाकशुदा हो या उनके मामले न्यायलय में तलाक से सम्बन्धित कार्यवाही में लम्बित पड़े हो, के पक्ष में आय से सम्बन्धी आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केवल सम्बन्धित नारी की आय ही गणना में ली जाए न कि उसके माता-पिता अथवा अन्य रिश्तेदारों की आय शामिल की जाये जिनके साथ वह रहती है।

कृप्या इन निर्देशों को सभी सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु परिचालित किया जाये 1

भवदीय,

हस्ता/-  
(नरेन्द्र कुमार)  
उप-सचिव(राजस्व)  
हिमाचल प्रदेश सरकार 1

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH,  
REVENUE-D-SECTION.**

No.Rev.D(F)11-2/2014-

Dated, Shimla,

7th July, 2014.

**NOTIFICATION.**

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to enhance the eligibility of annual income criteria as fixed for obtaining the Low Income Certificate vide letter No.Rev.D(F)12-17/2007, dated 09-10-2007, from Rs.12000/- to Rs.35,000/- for issuing the Low Income Certificate in favour of deserving persons, facilitating them for taking benefits under various Central/State welfare schemes, with immediate effect.

By order

Sd/-

Principal Secretary (Revenue) to the  
Government of Himachal Pradesh.

